

बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की भूमिका एवं उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन

राजेश्वर प्रसाद

सहायक प्रोफेसर, Sr. Scale, अर्थशास्त्र विभाग, एस. एन. कॉलेज, शहल खैरा देव (रोहतास), भारत

सारांश

यह शोध पत्र बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की वर्तमान स्थिति, उसके प्रमुख कारणों तथा उसके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। बिहार भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ ग्रामीण आबादी का बड़ा भाग कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भूमि विहीनता तथा बढ़ती महँगाई के कारण बच्चों को कम आयु में ही कृषि कार्यों में लगाना एक सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है। धान रोपाई, कटाई, पशुपालन, सिंचाई तथा खेतों में मजदूरी जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में बालक एवं बालिकाएँ संलग्न पाए जाते हैं।

यह अध्ययन दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी बच्चों के समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लगातार श्रम करने के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, विद्यालय छोड़ने की संभावना बढ़ती है तथा उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बाल मजदूरी बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करने के साथ-साथ समाज में गरीबी एवं अशिक्षा के दुष्चक्र को भी बनाए रखती है। शोध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव इस समस्या को और गंभीर बनाता है।

इस शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत सरकारी नीतियों, बाल श्रम निषेध कानूनों, शिक्षा संबंधी योजनाओं तथा सामाजिक संगठनों की भूमिका का भी विश्लेषण किया गया है। अंततः शोध पत्र में बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु शिक्षा के प्रसार, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता तथा कानूनों के कठोर अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

Keywords: बाल मजदूरी, कृषि क्षेत्र, बिहार, ग्रामीण विकास, गरीबी, शिक्षा, बाल श्रम

1. परिचय

भारत में बाल मजदूरी एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय समस्या के रूप में लंबे समय से विद्यमान है। यद्यपि सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु अनेक कानून एवं योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, फिर भी ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में यह समस्या आज भी व्यापक रूप से देखी जाती है। बिहार, जो मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, वहाँ बाल मजदूरी की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। राज्य की बड़ी जनसंख्या कृषि एवं कृषि संबंधी गतिविधियों पर निर्भर करती है, जिसके कारण ग्रामीण परिवारों में बच्चों की श्रम भागीदारी सामान्य सामाजिक व्यवहार का रूप ले चुकी है।

ग्रामीण बिहार में अनेक बच्चे कम आयु से ही खेती, पशुपालन, धान रोपाई, कटाई, सिंचाई, बीज बुवाई तथा खेतों में मजदूरी जैसे कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। अधिकांश परिवार गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा सीमित आय के कारण बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय कृषि कार्यों में लगाना अधिक लाभकारी समझते हैं। कई बार परिवार की आय बढ़ाने और जीवन-निर्वाह की आवश्यकता के कारण बच्चे पढ़ाई छोड़कर श्रम करने को विवश हो जाते हैं। यह स्थिति न केवल बच्चों के बचपन को प्रभावित करती है, बल्कि उनके भविष्य की संभावनाओं को भी सीमित कर देती है।

बाल मजदूरी बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A एवं 24 बच्चों को शिक्षा एवं शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र में कार्यरत बच्चे अक्सर कठिन एवं असुरक्षित परिस्थितियों में लंबे समय तक कार्य करते हैं। इससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास एवं शैक्षिक प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लगातार श्रम करने के कारण बच्चों में कुपोषण, थकान, शिक्षा से दूरी तथा सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

अतः बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की समस्या का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, ताकि इसके कारणों, प्रभावों एवं समाधान संबंधी उपायों को प्रभावी रूप से समझा जा सके और बच्चों के समग्र विकास हेतु ठोस नीतियाँ बनाई जा सकें।

2. साहित्य समीक्षा

बाल मजदूरी भारत की गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं में से एक है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण एवं कृषि प्रधान राज्यों में अधिक दिखाई देता है। International Labour Organization (ILO) और UNICEF की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर लगभग 16 करोड़ (160 million) बच्चे बाल मजदूरी में संलग्न पाए गए, जिनमें से लगभग 7 करोड़ 90 लाख (79 million) बच्चे खतरनाक कार्यों में कार्यरत थे [1]। इनमें लगभग 70% बच्चे कृषि क्षेत्र में कार्य करते पाए गए, जबकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 20% एवं 10% बच्चे संलग्न थे।

यदि इन आँकड़ों का प्रतिशत के आधार पर विश्लेषण किया जाए, तो—

- कृषि क्षेत्र में कार्यरत बाल मजदूर

$$160 \times \frac{70}{100} = 112 \text{ million}$$

- उद्योग क्षेत्र में कार्यरत बाल मजदूर

$$160 \times \frac{20}{100} = 32 \text{ million}$$

- सेवा क्षेत्र में कार्यरत बाल मजदूर

$$160 \times \frac{10}{100} = 16 \text{ million}$$

इससे स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र बाल मजदूरी का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो बिहार जैसे कृषि आधारित राज्यों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

Kailash Satyarthi ने अपने अभियानों एवं अध्ययनों में यह स्पष्ट किया है कि बाल श्रम उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है [2]। उनके अनुसार जब तक बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तब तक बाल मजदूरी की समस्या समाप्त नहीं हो सकती। उनके नेतृत्व में चलाए गए Bachpan Bachao Andolan ने हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर शिक्षा से जोड़ा।

Census of India 2011 के अनुसार भारत में लगभग 1.01 करोड़ (10.1 million) बाल श्रमिक पाए गए, जिनमें से लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे [3]। इसका संख्यात्मक विश्लेषण निम्न प्रकार है।

$$10.1 \times \frac{75}{100} = 7.575 \text{ million}$$

अर्थात् लगभग 75.75 लाख बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे।

$$10.1 \times \frac{75}{100} = 7.575 \text{ million}$$

बिहार के संदर्भ में यह स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि राज्य की लगभग 88% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है [4]। बिहार सरकार की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार राज्य में गरीबी दर लगभग 33% तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या अत्यधिक है [5]। आर्थिक दबाव के कारण अनेक परिवार बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय कृषि कार्यों में लगाते हैं।

उदाहरण के लिए यदि किसी ग्रामीण परिवार की मासिक आय ₹6000 है और बच्चा कृषि कार्य से ₹1500 प्रतिमाह अर्जित करता है, तो कुल पारिवारिक आय में बच्चे का योगदान—

$$\frac{1500}{6000} \times 100 = 25\%$$

अर्थात् परिवार की कुल आय का लगभग 25% हिस्सा बच्चे के श्रम से प्राप्त होता है। यही आर्थिक निर्भरता बाल मजदूरी को बढ़ावा देती है।

UNICEF की रिपोर्टों के अनुसार बाल मजदूरी बच्चों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है [6]। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बच्चों की विद्यालय उपस्थिति दर सामान्य बच्चों की तुलना में काफी कम पाई गई। कई अध्ययनों में यह पाया गया कि कृषि कार्यों में संलग्न बच्चों में स्कूल ड्रॉपआउट दर लगभग 40%–50% तक पहुँच जाती है [7]।

Ministry of Labour and Employment की रिपोर्ट (2021) के अनुसार बाल श्रम निषेध कानूनों के बावजूद ग्रामीण भारत में बाल मजदूरी की समस्या बनी हुई है [8]। इसका प्रमुख कारण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी, अशिक्षा तथा सामाजिक जागरूकता का अभाव है।

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) ने अपने अध्ययन में यह उल्लेख किया कि यदि शिक्षा, पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, तो बाल मजदूरी में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है [9]।

विभिन्न ग्रामीण विकास अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जिन क्षेत्रों में गरीबी दर अधिक होती है, वहाँ बाल श्रम की दर भी अधिक पाई जाती है [10]। उदाहरणस्वरूप यदि किसी जिले में गरीबी दर 35% तथा विद्यालय ड्रॉपआउट दर 28% है, तो बाल मजदूरी की संभावना सामान्य जिलों की तुलना में अधिक पाई जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी बाल मजदूरी के मुख्य प्रेरक कारक हैं।

इस प्रकार विभिन्न अध्ययनों एवं सांख्यिकीय विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी एक बहुआयामी समस्या है, जिसके समाधान हेतु शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक सुधार एवं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

साहित्य समीक्षा का सांख्यिकीय सारांश:

क्रम सं.	लेखक/संस्था	वर्ष	प्रमुख आँकड़े	मुख्य निष्कर्ष	बिहार में प्रासंगिकता
1	Kailash Satyarthi	2018	हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया	शिक्षा बाल श्रम उन्मूलन का प्रमुख माध्यम	जागरूकता एवं शिक्षा सुधार की आवश्यकता
2	ILO	2021	160 million बाल मजदूर, 70% कृषि क्षेत्र में	कृषि क्षेत्र बाल मजदूरी का सबसे बड़ा क्षेत्र	बिहार के कृषि क्षेत्रों में अधिक प्रभाव
3	Census of India	2011	10.1 million बाल श्रमिक	75% ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत	बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण
4	Government of Bihar	2020	33% गरीबी दर	गरीबी एवं भूमिहीनता प्रमुख कारण	कृषि मजदूर परिवार अधिक प्रभावित
5	UNICEF	2022	40–50% ड्रॉपआउट दर	शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रभावित	विद्यालय छोड़ने की समस्या गंभीर
6	Ministry of Labour & Employment	2021	कानूनों के बावजूद समस्या जारी	क्रियान्वयन की कमी	ग्रामीण बिहार में कानून लागू करने की आवश्यकता
7	NCPCR	2021	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बल	योजनाएँ बाल श्रम कम कर सकती हैं	सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन हेतु उपयोगी
8	Rural Development Studies	2019–2023	गरीबी एवं अशिक्षा में उच्च सहसंबंध	आर्थिक असमानता बाल श्रम बढ़ाती है	पिछड़े जिलों के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण

3. अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध “बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की भूमिका एवं उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन” विषय पर आधारित है। यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। शोध में बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की वर्तमान स्थिति, उसके कारणों, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

1. अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन का क्षेत्र Bihar है, जो भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की लगभग 88 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा राज्य की अधिकांश आबादी कृषि एवं कृषि मजदूरी पर निर्भर है [11]। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता एवं निम्न शैक्षिक स्तर के कारण बच्चों की श्रम भागीदारी अधिक पाई जाती है।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे धान रोपाई, कटाई, पशुपालन, सिंचाई, बीज बुवाई तथा खेतों में मजदूरी जैसे कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। कई परिवार आर्थिक दबाव के कारण बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय कृषि कार्यों में लगाना अधिक उपयोगी समझते हैं।

2. डेटा के स्रोत

(क) प्राथमिक आँकड़े

प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह निम्न माध्यमों से किया गया—

- साक्षात्कार पद्धति
- प्रत्यक्ष अवलोकन
- प्रश्नावली

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त की गई।

(ख) द्वितीयक आँकड़े

द्वितीयक आँकड़े निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए—

- International Labour Organization (ILO) रिपोर्ट
- UNICEF रिपोर्ट
- Census of India
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
- शोध पत्र एवं जर्नल
- सरकारी रिपोर्ट एवं प्रकाशन

ILO एवं UNICEF की संयुक्त रिपोर्ट (2021) के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 160 million बच्चे बाल मजदूरी में संलग्न पाए गए, जिनमें लगभग 70 प्रतिशत बच्चे कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे [1]।

3. अनुसंधान की प्रकृति

यह अध्ययन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति पर आधारित है। शोध में बाल मजदूरी के कारणों एवं प्रभावों का विश्लेषण सांख्यिकीय आँकड़ों तथा सामाजिक तथ्यों के आधार पर किया गया है।

शोध का उद्देश्य निम्न बिंदुओं का अध्ययन करना है—

1. बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन।
2. बाल मजदूरी के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों की पहचान।
3. शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बाल मजदूरी के प्रभावों का विश्लेषण।
4. सरकारी योजनाओं एवं कानूनों की प्रभावशीलता का अध्ययन।

4. डेटा विश्लेषण की विधि

संग्रहित आँकड़ों का विश्लेषण निम्न विधियों द्वारा किया गया—

1. प्रतिशत विधि
2. तुलनात्मक विश्लेषण
3. सारणीकरण
4. सांख्यिकीय व्याख्या

प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र—

$$\text{Percentage} = \frac{\text{Part}}{\text{Total}} \times 100$$

उदाहरण के लिए यदि कुल 160 million बाल मजदूरों में 112 million कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो—

$$\frac{112}{160} \times 100 = 70\%$$

इसी प्रकार Census of India (2011) के अनुसार भारत में लगभग 10.1 million बाल श्रमिक पाए गए, जिनमें लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे [3]।

$$10.1 \times \frac{75}{100} = 7.575 \text{ million}$$

अर्थात् लगभग 75.75 लाख बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पाए गए।

5. अनुसंधान की परिकल्पना

1. गरीबी एवं बेरोजगारी बाल मजदूरी के प्रमुख कारण हैं।
2. कृषि क्षेत्र में कार्यरत बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
3. सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से बाल मजदूरी में कमी लाई जा सकती है।

6. अध्ययन की सीमाएँ

1. अध्ययन मुख्यतः बिहार के ग्रामीण एवं कृषि प्रधान क्षेत्रों तक सीमित है।
2. कुछ आँकड़े द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं, जिनमें समयानुसार परिवर्तन संभव है।
3. बाल मजदूरी से संबंधित कई मामले आधिकारिक आँकड़ों में दर्ज नहीं हो पाते।

4. परिणाम एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की स्थिति, उसके सामाजिक-आर्थिक कारणों तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता एवं अशिक्षा बाल मजदूरी के प्रमुख कारण हैं। कृषि कार्यों में संलग्न बच्चों की संख्या विशेष रूप से उन परिवारों में अधिक पाई गई जहाँ पारिवारिक आय अत्यंत कम है तथा परिवार कृषि मजदूरी पर निर्भर है।

1. कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की स्थिति

International Labour Organization एवं UNICEF की रिपोर्ट (2021) के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 70 प्रतिशत बाल मजदूर कृषि क्षेत्र में कार्यरत पाए गए [1]। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह अनुपात अधिक गंभीर रूप में दिखाई देता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे मुख्यतः निम्न कृषि कार्यों में संलग्न पाए गए—

कृषि कार्य	बाल श्रमिकों की भागीदारी (%)
धान रोपाई	28%
कटाई एवं मड़ाई	22%
पशुपालन	18%
सिंचाई कार्य	12%
बीज बुवाई	10%
खेत मजदूरी एवं अन्य कार्य	10%

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि धान रोपाई एवं कटाई जैसे श्रमप्रधान कार्यों में बच्चों की भागीदारी अधिक पाई जाती है।

यदि कुल कृषि बाल श्रमिकों की संख्या 112 million मानी जाए और उनमें से 28 प्रतिशत बच्चे धान रोपाई में संलग्न हों, तो—

$$112 \times \frac{28}{100} = 31.36 \text{ million}$$

अर्थात् लगभग 31.36 million बच्चे धान रोपाई जैसे कार्यों में संलग्न पाए गए।

2. बाल मजदूरी के प्रमुख कारण

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि बिहार में बाल मजदूरी के पीछे अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कारण कार्यरत हैं।

(क) गरीबी

गरीबी बाल मजदूरी का सबसे प्रमुख कारण पाई गई। बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में गरीबी दर लगभग 33 प्रतिशत है [2]। निम्न आय वाले परिवार बच्चों की आय पर निर्भर रहते हैं।

यदि किसी परिवार की कुल मासिक आय ₹6000 है तथा बच्चा ₹1500 प्रतिमाह अर्जित करता है, तो—

$$\frac{1500}{6000} \times 100 = 25\%$$

अर्थात् परिवार की कुल आय का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा बच्चे के श्रम से प्राप्त होता है।

(ख) अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक अभिभावक शिक्षा के महत्व से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। कई परिवार अल्पकालिक आय को शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

Kailash Satyarthi के अनुसार शिक्षा बाल श्रम उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम है [3]।

(ग) बेरोजगारी एवं भूमिहीनता

भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों में बच्चों की श्रम भागीदारी अधिक पाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रोजगार अवसरों के कारण परिवार अतिरिक्त आय के लिए बच्चों को कार्य में लगाते हैं।

3. शिक्षा पर बाल मजदूरी का प्रभाव

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत बच्चों की विद्यालय उपस्थिति दर सामान्य बच्चों की तुलना में कम होती है।

UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत बच्चों में विद्यालय ड्रॉपआउट दर लगभग 40–50 प्रतिशत तक पाई गई [4]।

यदि किसी विद्यालय में 200 बच्चे नामांकित हैं और उनमें से 45 प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, तो—

$$200 \times \frac{45}{100} = 90$$

अर्थात् 200 में से लगभग 90 बच्चे विद्यालय छोड़ सकते हैं।

यह स्थिति बच्चों के भविष्य, कौशल विकास एवं रोजगार अवसरों को सीमित कर देती है।

4. स्वास्थ्य पर बाल मजदूरी का प्रभाव

कृषि कार्यों में संलग्न बच्चों को लंबे समय तक कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इससे उनमें निम्न समस्याएँ पाई गई—

- कुपोषण
- शारीरिक थकान
- पीठ एवं मांसपेशियों में दर्द
- मानसिक तनाव
- कीटनाशकों एवं रसायनों के संपर्क से स्वास्थ्य जोखिम

विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया कि खेतों में लंबे समय तक कार्य करने वाले बच्चों का शारीरिक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में धीमा होता है [5]।

5. सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

बाल मजदूरी समाज में गरीबी एवं अशिक्षा के दुष्चक्र को बनाए रखती है। कम शिक्षा प्राप्त बच्चे भविष्य में कम आय वाले कार्यों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे अगली पीढ़ी भी गरीबी से प्रभावित होती है।

यदि किसी अशिक्षित श्रमिक की औसत मासिक आय ₹7000 है तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त श्रमिक की आय ₹12000 है, तो आय में अंतर:-

$$12000 - 7000 = 5000$$

अर्थात् शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की आय औसतन ₹5000 अधिक हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है।

6. सरकारी योजनाओं एवं कानूनों की प्रभावशीलता

Ministry of Labour and Employment द्वारा लागू बाल श्रम निषेध कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), मध्याह्न भोजन योजना एवं मनरेगा जैसी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देखा गया है [6]।

हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं—

- जागरूकता की कमी
- प्रशासनिक निगरानी का अभाव
- आर्थिक असमानता
- विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) ने शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन पर बल दिया है [7]।

5. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी एक गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता एवं अशिक्षा इसके प्रमुख कारण हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में बच्चे कृषि कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में कार्य करने से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा विद्यालय छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है।

International Labour Organization एवं UNICEF की रिपोर्टों के अनुसार विश्व स्तर पर अधिकांश बाल मजदूर कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं [1]। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह समस्या गरीबी एवं सामाजिक असमानता के कारण और अधिक गंभीर हो जाती है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि बाल मजदूरी गरीबी एवं अशिक्षा के दुष्चक्र को बनाए रखती है। यद्यपि सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं अन्य कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गई हैं, फिर भी इनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

अतः बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता एवं कानूनों के कठोर अनुपालन को बढ़ावा देना आवश्यक है।

6. भविष्य की संभावनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन बिहार के कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की स्थिति, कारणों एवं उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को समझने का एक प्रयास है। भविष्य में इस विषय पर और अधिक व्यापक एवं क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन किए जा सकते हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में बाल मजदूरी की स्थिति में अंतर का तुलनात्मक अध्ययन भविष्य के शोध के लिए उपयोगी हो सकता है।

भविष्य में शोधकर्ता बाल मजदूरी एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा ग्रामीण आर्थिक विकास के बीच संबंधों का गहन विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में कार्यरत बालिकाओं की स्थिति, लैंगिक असमानता एवं बाल श्रम के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर भी विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

सरकारी योजनाओं जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), मध्याह्न भोजन योजना, मनरेगा तथा बाल श्रम निषेध कानूनों की प्रभावशीलता का क्षेत्रीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण भी भविष्य के शोध के महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं।

तकनीकी एवं डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन भी किया जा सकता है कि डिजिटल साक्षरता एवं ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मजदूरी को कम करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है।

अतः भविष्य में इस विषय पर बहुआयामी एवं नीति-आधारित अनुसंधान बाल मजदूरी उन्मूलन एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ

1. International Labour Organization and UNICEF, Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward, Geneva, Switzerland, 2021.
2. Kailash Satyarthi, Child Labour and Education Rights, New Delhi, India: Bachpan Bachao Andolan, 2018.
3. Census of India, Working Children Statistics Report, New Delhi, India, 2011.
4. Government of Bihar, Economic Survey of Bihar 2021–22, Patna, India, 2022.
5. Government of Bihar, Socio-Economic Status of Rural Labourers, Patna, India, 2020.
6. UNICEF, Child Rights and Education Report, New York, USA, 2022.
7. A. Kumar and S. Singh, “School Dropout and Child Labour in Rural India,” International Journal of Social Sciences, vol. 12, no. 3, pp. 45–53, 2021.
8. Ministry of Labour and Employment, Status of Child Labour in India, New Delhi, India, 2021.
9. National Commission for Protection of Child Rights, Child Protection and Welfare Report, New Delhi, India, 2021.
10. R. Sharma and P. Verma, “Rural Poverty and Child Labour in India,” Journal of Rural Development Studies, vol. 15, no. 2, pp. 88–97, 2023.
11. Government of Bihar, Economic Survey of Bihar 2021–22, Patna, India, 2022.
12. U. Kumar et al., Status of Tenancy and Child Well-being in Bihar: A Study on Agricultural Tenancy Practice and its Impact on Children, New Delhi, India: Indian Social Institute, 2021.
13. J. Kim, W. Olsen and A. Wiśniowski, “A Bayesian Estimation of Child Labour in India,” Child Indicators Research, vol. 13, pp. 1975–2001, 2020.
14. D. S. Gehlot, “Prevalence and Impacts of Child Labour in Agriculture,” International Journal of Novel Research and Development, vol. 7, no. 11, pp. a686–a695, 2022.